महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी

उत्तर प्रदेश अधिनियमित राज्य विश्वविद्यालय

विज्ञापन संख्या–1/2010

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक–राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता सम्पन्न विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक अध्यापक सुसंगत प्रमाण–पत्र सहित अपना संक्षिप्त जीवन–वृत्त (बायोडाटा) एक आवेदन–पत्र के साथ उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा प्रेषित करें जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 04–09–2010 तक प्राप्त हो जाय। अन्य विस्तृत विवरण एवं अर्हताएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.mgkvp.ac.in** पर उपलब्ध है।

कुलसचिव

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक–राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हताएँ

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत कार्यक्रम समन्वयक के पद के लिये निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गयी हैं :–

(क) आवेदक को इस विश्वविद्यालय या सम्बद्ध कालेज में रीडर/प्रवक्ता (चयन वेतनमान), प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनमान) पद पर कार्यरत होना चाहिए।

(ख) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के प्रधानाचार्य जिन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठभूमि तथा रीडर का दर्जा प्राप्त हो, को भी समन्वयक की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

(ग) ऐसे अध्यापक जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी के पद पर न्यूनतम् तीन वर्ष तक रहे हों।

(घ) आवेदक को प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र/प्रशिक्षण, अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास किया होना चाहिए।

(ड.) कार्यक्रम समन्वयक के चयन के समय आवेदक को पचास वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

अन्य विवरण :–

1. इस पद के कार्य सम्पादन हेतु रू.500/– (रूपये पांच सौ) प्रतिमाह मानदेय (पॉकेट एलाउन्स) निर्धारित है।

2. अर्ह अध्यापक सुसंगत प्रमाण–पत्र सहित अपना संक्षिप्त जीवन–वृत्त (बायोडाटा) एक आवेदन–पत्र सहित, जो सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित हो, के साथ उपस्थित होकर दिनांक 04–09–2010 तक कुलसचिव कार्यालय में जमा कर सकते हैं अथवा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पते पर इस प्रकार प्रेषित करें जो दिनांक 04–09–2010 तक अवश्य प्राप्त हो जाय। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

13.08.10.
कुलसचिव